भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-921

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

कार्बन बाजार की प्रभावशीलता

921. श्री मनीष जायसवाल:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री प्रवीण पटेल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्सर्जन में कमी और जलवायु शमन प्रयासों को सुगम बनाने के लिए शुरू किए गए भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के ढांचे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) कार्बन रजिस्ट्री, ट्रेडिंग तंत्र और क्षेत्र-वार कवरेज जैसे संस्थागत प्रबन्धों को स्थापित करने में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्बन बाजार में भागीदारी के माध्यम से और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उद्योगों और अन्य हितधारकों के लिए परिकल्पित भूमिका क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्सर्जन में कमी लाने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश की सुविधा प्रदान करने में कार्बन बाजार की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अंतर्गत भारतीय कार्बन बाज़ार (आईसीएम) दो तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, बाध्य संस्थाओं के रूप में अधिसूचित उत्सर्जन-गहन उद्योगों को निर्धारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता लक्ष्यों को पूरा करना होता है और जो संस्थाएं अपने लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त करती हैं, वे कार्बन

क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए पात्र होती हैं। ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, गैर-बाध्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से अनुमोदित शमन गतिविधियों को स्वेच्छा से पंजीकृत कर सकती हैं।

(ख) : भारतीय कार्बन बाज़ार (आईसीएम) के संचालन हेतु आवश्यक संस्थागत ढाँचा पहले से ही मौजूद है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया लिमिटेड रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आईसीएम के अंतर्गत होने वाली व्यापारिक गतिविधियों के लिए नियामक के रूप में कार्य करता है।

आईसीएम के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने सात ऊर्जा-गहन क्षेत्रों एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली, लुगदी और कागज, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाईनरी तथा वस्त्र के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता (जीईआई) में कमी के लक्ष्य अधिसूचित किए हैं। ये लक्ष्य कुल 490 बाध्यकारी संस्थाओं को कवर करते हैं, जिनका राज्य-वार विस्तृत विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा नौ अलग-अलग पद्धतियां (सूची-**अनुबंध-II**) विकसित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय मापन, रिर्पोटिंग एवं उत्सर्जन में कमी के सत्यापन (एमआरवी) को सुनिश्चित करने हेतु कार्बन सत्यापन एजेंसियों के सत्यापन की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

(ग) : ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किए अनुसार, उद्योगों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दक्षता में सुधार, कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा अधिसूचित उत्सर्जन-सघनता लक्ष्यों को पूरा करते हुए भारतीय कार्बन बाज़ार (आईसीएम) के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी लाने की प्रक्रिया हेतु विचार किया गया है।

(घ) एवं (ङ) : भारतीय कार्बन बाज़ार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा भारतीय कार्बन बाज़ार की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु एक सुव्यवस्थित निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) फ्रेमवर्क तथा उत्सर्जन सघनता लक्ष्यों की आवधिक समीक्षा पहले से ही परिकल्पित की जा चुकी है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 921

अनुबंध-I

राज्य	बाध्यकारी संस्थाओं की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	30
असम	8
बिहार	4
छत्तीसगढ़	11
दादरा एवं नगर	17
गुजरात	71
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू एवं कश्मीर	1
झारखंड	7
कर्नाटक	22
केरल	3
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	29
मेघालय	8
ओड़िशा	18
पुदुचेरी	2
पंजाब	26
राजस्थान	64
तमिलनाडु	41
तेलंगाना	21
उत्तर प्रदेश	34
उत्तराखंड	6
पश्चिम बंगाल	15
कुल	**490**

<u>लो.स.अतारां.प्र.सं. 921</u>

<u>अनुबंध-II</u>

i. बीएम ईएन 01.001: नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड कनेक्टेड विद्युत उत्पादन

ii. बीएम ईएन 01.002: जल के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन

iii. बीएम आईएन 02.001: औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा दक्षता एवं ईंधन परिवर्तन उपाय

iv. बीएम आईएन 02.002: बायोगैस से प्राप्त मीथेन का उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादन

v. बीएम डब्लयूए 03.001: लैंडफिल से मीथेन की पुनर्प्राप्ति

vi. बीएम डब्लयूए 03.002: लैंडफिल गैस का फ्लेरिंग अथवा उपयोग

vii. बीएम एजी 04.002: घरेलू स्तर एवं छोटे कृषि फार्मों में पशुधन एवं गोबर प्रबंधन से मीथेन की पुनर्प्राप्ति

viii. बीएम एफआर 05.001: क्षतिग्रस्त मैंग्रोव आवासों में वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण

ix. बीएम एफआर 05.002: वेटलैंड को छोड़कर अन्य भूमियों में वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण

****